राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–53/2024 2623
प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
वैशाली।

पटना, दिनांक– 19.6.24

विषय :– **प्रखंड महनार के ग्राम कचहरी महिन्दवारा के उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक 844 दिनांक 10.05.2024**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त के संबंध कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा **प्रखंड महनार के ग्राम कचहरी महिन्दवारा के उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने संबंधी** प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि–

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 97(4) (II) तथा बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 06 के प्रावधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी सूचना तीन दिन पूर्व सभी निर्वाचित सदस्यों को दिया जाना है, जबकि **प्रखंड महनार के ग्राम कचहरी महिन्दवारा के उप सरपंच** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना का तामिला सदस्यों को तीन दिन पूर्व नहीं कराई गई है, जो नियमानुकूल नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रखंड महनार के ग्राम कचहरी महिन्दवारा के उप सरपंच के रिक्त पद पर वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है परंतु आयोग विशेष बैठक की प्रक्रिया के संबंध में तटस्थता एंव अहस्तक्षेप का अभिमत रखता है।

अनुरोध है कि उक्त आलोक में अग्रेतर कारवाई हेतु पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त की जाय।

विश्वासभाजन,
19/6/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

18.6.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847. E-mail: secbihar@gmail.com